



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 643

भोपाल, दिनांक 11 /07/2024

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्र./अका./2024/071 दिनांक 19-04-2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स) में प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को 7.5 CGPA की अनिवार्यता नहीं होगी।
2. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) में प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन्हें 7.5 CGPA अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करना होगा।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश अनुसार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स) में 160 क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे।
4. इसी प्रकार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) में 160 क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के उपरांत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक तृतीय वर्ष परीक्षा 120 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण की हो, वे स्नातकोत्तर कक्षा के लिए चयनित वांछित विषय में पूर्वानुसार स्नातकोत्तर दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
6. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष में निर्धारित 160 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करेंगे उन्हें एक वर्षीय मेजर विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।

उक्त बिन्दुओं के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संबंध में जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र / आदेश एवं उनके संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 11 /07/2024

पृ./क्र./अका./2024/ 644

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक, कुलपति/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाईट को सूचनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव